



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 580 राँची, गरुवार, 28 कार्तिक, 1942 (श०)
19 नवम्बर, 2020 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

अधिसूचना
19 नवम्बर, 2020

संख्या- सी0एस01/आर0-06/2020-1331 -- भारत का संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-07, दिनांक 16.11.2000 द्वारा बनाई गई "झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथासंशोधित)" तथा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग की अधिसूचना संख्या-1235, दिनांक 13.07.2015 के क्रम में निर्गत अधिसूचना संख्या-0998, दिनांक 11.08.2016 द्वारा किये गये संशोधन के क्रम में, "झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथासंशोधित)" प्रथम अनुसूची में अंकित विभागों की सूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन:

- i. झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-22 पर अंकित "उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग" के स्थान पर शब्द समूह "उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" प्रतिस्थापित किया जाता है और उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 22 (ख) में अंकित "उच्च, तकनीकी

शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग" के कृत्यों की सूची (xxviii) में अंकित कौशल विकास कार्यक्रम को विलोपित किया जाता है।

- ii- झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-24 पर अंकित "श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग" के स्थान पर शब्द समूह "श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग" प्रतिस्थापित किया जाता है। साथ ही उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची के क्रमांक 24 में अंकित "श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग" के कृत्यों की सूची (xxii) के पश्चात् एक नया क्रमांक (xxiii) "कौशल विकास कार्यक्रम" को जोड़ा जाता है।

2. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
